न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः— 12/60/2024 रजू दिनांकः 08.04.2024 रजि0 न0 2024/96

अपीलार्थीः—
श्री हैदर अली पुत्र इसराईल, निवासी 35 सैंट अंसलम स्कूल के पीछे, मूंगस्का, अलवर तहसील अलवर जिला अलवर राज0 — 301001

प्रत्यर्थीः—
लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव नगर विकास न्यास अलवर, जिला अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

——:: निर्णय ::——

दिनांकः— 13.05.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा—6 (1) के अन्तर्गत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र दिनांक 04.02.2024 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही थी, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि प्रत्यर्थी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 22.04.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी उपस्थित नहीं आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब आदिनांक तक अप्राप्त है। उक्त आलोक में अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।
5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है, कि सूचना के अधिकार अधिनियम—2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का नियत समयावधि में विधिवत निस्तारण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें साथ ही निर्देशित किया जाता है कि यदि सूचना देयता की श्रेणी में हो तो अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध कराई जावें, निर्णय की प्रमाणित प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज दिनांक 13.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर अलवर
अलवर (राज0)